न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–कमर चौधरी

आई0ए0एस0

प्रा0पत्र सं0 08/2018 आवश्यक वस्तु अधिनियम

राजस्थान सरकार जरिये मुकेश कुमार, उप निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना नांगल राजावतान जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

रामकरण पुत्र दुर्गालाल सैनी जाति माली निवासी खवारावजी थाना नांगल राजावतान जिला दौसा राज0

..अप्रार्थी

उपस्थित: 1. श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार
2. श्री राजेश कुमार मीना, थानाधिकारी, पुलिस थाना नांगल राजावतान

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक: 06.01.2023

संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना, नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा दिनांक 09.05.2017 को जब्त 13 कटटे गेहूँ जब्त सरकार कर राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रा0 पत्रं 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 संख्या 87/2017 दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उपस्थित थानाधिकारी नांगल राजावतान व विभागीय पैरोकार की बहस सुनी गई।

थानाधिकारी, पुलिस थाना नांगल राजावतान ने बहस में कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक नांगल राजावतान ने दिनांक 09.05.2017 को थाना नांगल राजावतान में उपस्थित होकर श्री रामकरण पुत्र दुर्गालाल जाति माली निवासी खवारावजी, उचित मूल्य दुकानदार खवारावजी के विरूद्ध रसद सामग्री के वितरण में अनियमितता बरतने पर अभियोग सं. 87/2017 आवश्यक वस्तु अधिनियम में पंजीबद्ध कराया था। उक्त प्रकरण में उचित मूल्य दुकानदार आरोपी राशन डीलर श्री रामकरण पुत्र दुर्गालाल जाति माली निवासी खवारावजी जिला दौसा के कब्जे से 13 गेहूँ से भरे कटटे जब्त किये गये थे। उक्त प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोपी राशन डीलर श्री रामकरण पुत्र दुर्गालाल जाति माली निवासी खवारावजी जिला दौसा के विरूद्ध अपराध साबित पाये जाने पर पुलिस के विरूद्ध चालान रिपोर्ट नंबर 207/2017 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम दिनांक 14.9.2017 को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा में पेश की गई थी जिसका प्रकरण संख्या 1532/2017 है जो कि वर्तमान में भी विचाराधीन है। प्रकरण में जब्तशुदा माल गेहूँ में कीडे लगने के कारण गेहूँ खराब हो गया है। गेहूँ को कीडों और चींटियों तथा चूहों के द्वारा नष्ट किया जा रहा है। अतः प्रकरण में जब्तशुदा माल गेहूँ के शीघ्र निस्तारण हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:15:55 IST
Reason: SelfAttested

निरन्तर...2 पर

जिला कलेक्टर दौसा

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक नांगल राजावतान ने थानाधिकारी, पुलिस थाना नांगल राजावतान को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राशन डीलर रामकरण सैनी उचित मूल्य दुकानदार खवारावजी द्वारा राशन सामग्री वितरण में अनियमितता बरतने की शिकायत प्रस्तुत की गई। जिस पर थानाधिकारी, नांगल राजावतान द्वारा मुल्जिम रामकरण सैनी, उचित मूल्य दुकानदार खवारावजी के विरूद्ध अभियोग सं. 87/2017 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दर्ज किया गया। थानाधिकारी नांगल राजावतान द्वारा उचित मूल्य दुकानदार खवारावजी रामकरण सैनी से 13 कट्टे गेहूँ के जब्त किये गये थे। उक्त जब्तशुदा 13 कट्टे गेहूँ के निस्तारण के संबंध में जिला कलक्टर महोदय, दौसा के आदेश दिनांक 4.10.2022 की अनुपालना में गठित जांच कमेटी द्वारा मौके पर गेहूँ का दिनांक 18.10.2022 को थाना नांगल राजावतान पर भौतिक सत्यापन किया गया। वक्त जांच मौके पर थाना नांगल राजावतान के मालखाने में जब्तशुदा गेहूँ 50 किलोग्राम के 26 कटटे जूट के व खुले गेहूँ के साथ प्लास्टिक के 13 कट्टे पाये गये जिनमें थोडी–2 मात्रा में गेहूँ होना पाया गया। चयन कमेटी द्वारा रेंडम चयन करके 5–6 कटटों को खोलकर देखने पर पाया गया कि कीडे एवं चींटियों के द्वारा खाने के कारण गेहूँ का खोखला होना पाया गया व गेहूँ के खोखला होने के कारण आटा की भस्म कट्टों में भरा हुआ पाया गया तथा खुले में फर्श पर पडे गेहूँ भी खोखले एवं बीदना होना पाया गया। जांच कमेटी द्वारा उक्त गेहूँ को खाने योग्य नहीं माना गया व कमेटी के सदस्यों द्वारा थाना नांगल राजावतान के मालखाने में रखे गेहूँ का रैंडम चयन कर एक कट्टे को खोलकर एक नमूना सर्वेलाईन्स के लिए लिया जाकर जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर में जांच हेतु भेजा गया। खाध सुरक्षा अधिकारी दौसा द्वारा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर में थाना नांगल राजावतान से एकत्रित नमूना की रिपोर्ट सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर से प्राप्त हुई जिसके अनुसार उक्त गेहूँ ना तो बाजार में बेचे जाने योग्य है और ना ही मनुष्य के खाने योग्य है।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 9.5.2017 को प्रवर्तन निरीक्षक नांगल राजावतान के द्वारा उचित मूल्य दुकानदार खवारावजी रामकरण सैनी के विरूद्ध राशन सामग्री के वितरण में अनियमितता बाबत थाना नांगल राजावतान में अभियोग पंजीबद्ध कराया था। थानाधिकारी नांगल राजावतान द्वारा प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोपी राशन डीलर श्री रामकरण सैनी पुत्र दुर्गालाल सैनी निवासी खवारावजी जिला दौसा के विरूद्ध अपराध साबित पाये जाने पर मुल्जिम के विरूद्ध चार्जशीट नंबर 207/2017 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम दिनांक 07.11.2017 को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा में पेश की गई थी। प्रकरण माननीय न्यायालय में अब भी विचाराधीन है। अप्रार्थी बाद तामील अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। मौके पर दौराने पूछताछ गेहूँ के संबंध में उपस्थित शख्स द्वारा गेहूं के संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त गेहूँ कालाबाजारी की दृष्टि से अधिक मुनाफा कमाने हेतु बाजार में विकय किये जाने हेतु ले जाया जाना था। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों के विपरीत है। मौके पर फर्द अभिग्रहण/जब्ती तैयार की गई और इस संबंध में मुकदमा नम्बर 87/2017 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दर्ज किया गया है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में संलग्न दस्तावेजात व हालात से यह स्पष्ट है कि उक्त कृत्य कालाबाजारी की दृष्टि से किया गया हैं,

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:15:55 IST
Reason: SelfAttested

निरन्तर...3 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जो आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 के तहत धारा 3/7 का दण्डनीय अपराध किया है। जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर में थाना नांगल राजावतान से एकत्रित नमूना की रिपोर्ट सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर से प्राप्त हुई जिसके अनुसार उक्त गेहूँ ना तो बाजार में बेचे जाने योग्य और ना ही मनुष्य के खाने योग्य माना गया है। हम थानाधिकारी, पुलिस थाना नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र स्वीकार किये जाने योग्य समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाता है। जब्तशुदा 13 कट्टे गेहूँ मय बारदाना राजसात **(Confiscate)** किया जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्तशुदा गेहूँ मय बारदाना का कमेटी बनाई जाकर जिसमें एक लेखा सेवा का सदस्य जो उपखंड मुख्यालय नांगल राजावतान में पदस्थापित हो, नियमानुसार निस्तारण किया जाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराई जावें। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 06 जनवरी,2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:15:55 IST
Reason: SelfAttested